न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 19/2017
RCMS Case No. 2017/00255

सायल :–	**बनाम**	**गैरसायलः–**
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली		नारायण उर्फ लोटिया पुत्र कानाराम जाति भाट निवासी 193, सुभाष नगर बी., पाली पुलिस थाना औघोगिक क्षेत्र, पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)/3/7 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली
गैरसायल अनुपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक :– 03/10/2018

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 14.07.2017 को गैरसायल नारायण उर्फ लोटिया पुत्र कानाराम जाति भाट निवासी 193, सुभाष नगर बी., पाली, पुलिस थाना औघोगिक क्षेत्र, पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जिसके खिलाफ वर्ष 2007 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 3 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। समस्त प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	मु0न0	धारा	नाम न्यायालय	निर्णय
1	144/18.06.2007	13 आर.पी.जी.ओ.	J M Court No, 2 Pali	50/– रूपये जुर्माना
2	133/14.06.2010	13 आर.पी.जी.ओ.	J M Court No, 2 Pali	50/– रूपये जुर्माना
3	160/06.07.2016	13 आर.पी.जी.ओ.	J M Court No. 2 Pali	50/– रूपये जुर्माना

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम मे दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल नारायण उर्फ लोटिया पुत्र कानाराम जाति भाट निवासी 193, सुभाष नगर बी., पाली, पुलिस थाना औघोगिक क्षेत्र, पाली, जुऐं के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(iii)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

एo पीo पीo की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र का अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 149/2010 में पारित निर्णय दिनांक 28.06.2010 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 50/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 160/2016 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2016 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 500 रूपये की जमानत एवं 100 रूपये के अभियोजन व्यय जमा कराने हेतु आदेशित किया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 409/2016 राजस्थान राज्य बनाम कालूराम में दिनांक 03.09.2013 को निर्णय पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषसिद्ध घोषित किया तथा 500 रूपये की जमानत एवं 100 रूपये के अभियोजन व्यय जमा कराने हेतु आदेशित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल नारायण उर्फ लोटिया पुत्र कानाराम जाति भाट निवासी 193, सुभाष नगर बी., पाली पुलिस थाना औधोगिक क्षेत्र, पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र, पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना नाणा जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 23/10/2018 से 30 दिन के लिये पुलिस थाना नाणा जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी नाणा जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल कालूराम इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली, गैरसायल नारायण उर्फ लोटिया को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना नाणा जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी नाणा उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी औद्योगिक क्षेत्र पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली एवं थानाधिकारी नाणा पाली को भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 23/10/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली